राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 2061/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
शैलेश नाथ सिंह एफ 54 फस्र्ट फ्लोर] अलंकार प्लाजा] सेंट्रल स्पाइन] विद्याधर नगर जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं पुलिस आयुक्त जयपुर पुलिस आयुक्तालय जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 02-05-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से दीप्ति शर्मा, उप निरीक्षक, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 9-6-17 के साथ पोस्टल आर्डर संख्या 40एफ 673120 संलग्न कर पुलिस आयुक्त कार्यालय जयपुर को प्रस्तुत कर मुकदमा नम्बर 25/2012 पुलिस थाना शिवदासपुरा, जयपुर के सम्बन्ध में परिवादीया श्रीमति गायत्री देवी ने जरिये अधिवक्ता सूचना प्रदान करने के दिन तक कितने प्रतिवेदन पुलिस आयुक्त, जयपुर को प्रस्तुत किये उनकी दिनांक अनुसार संख्या आदि के सम्बन्ध में 3 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा पोस्टल आर्डर संख्या 40एफ 673120 की दो छाया प्रतियों के साथ 2 आवेदन प्रस्तुत किये गये तथा उनके संबंध में हस्तगत अपील एवं अपील संख्या 2061/2018 भी प्रस्तुत की गई है अतः दोनों अपीलों को एक साथ सुना जावे।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 27-4-18 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पत्र दिनांक 28-6-17 से स्टॉफ ऑफिसर पुलिस आयुक्त, जयपुर ने अवगत कराया कि पत्र दिनांक 4-10-16, 13-12-16 एवं 28-12-16 द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है तथा पत्र दिनांक 14-7-17 से संसूचित कर दिया गया था कि आवेदन पत्र से संबंधित अभियोग संख्या 25/2012 पुलिस थाना शिवदासपुरा, जयपुर-दक्षिण वर्तमान में जैरअनुसंधान होने

के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 8(1)(एच) के तहत सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है तदानुसार प्रथम अपील संख्या 26/2017 भी निर्णय दिनांक 7-11-17 से खारिज कर दी गई थी।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने एक ही सूचना के आवेदन के साथ एक ही नम्बर के दो पोस्टल आर्डर की छाया प्रतियां संलग्न कर दो अपीलें प्रस्तुत की हैं। प्रत्यर्थी द्वारा पत्र दिनांक 14-7-17 से अपना विनिश्चय तथा पत्र दिनांक 4-10-16, 13-12-16 एवं 28-12-16 से उपलब्ध पत्रादि की प्रतियां अपीलार्थी को प्रेषत कर दी गई है तदानुसार प्रथम अपील भी निर्णय दिनांक 7-11-17 से खारिज कर दी गई है अतः हस्तगत अपील में सूचना प्रदत्त होने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रेषित विनिश्च एवं प्रथम अपीलीय निर्णय विधि संगत है जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. दोनों ही अपील एक ही सूचना के आवेदन एवं एक ही पोस्टल आर्डर की छाया प्रतिया संलग्न कर प्रस्तुत की गई हैं। सूचना के आवेदन के क्रम में अपीलार्थी को अपील संख्या 2061/2018 में सूचना प्रदत्त कर दी गई है अतः अपील संख्या 2061/2018 सूचना प्रदत्त होने से खारिज की जाती है एवं अपील संख्या 2058/2018 उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष में पोषणीय नहीं है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील एवं अपील संख्या 2058/2018 उपरोक्तानुसार खारिज की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो तथा निर्णय की मूल प्रति अपील संख्या 2061/2018 की पत्रावली में एवं सत्यप्रति अपील संख्या 2058/2018 की पत्रावली में नत्थीबद्ध हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त